


वर्ष-2016

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष:- 08/04/1981



25 40

- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम:- श्री शैलेन्द्र कुमार व्यास.....
- कार्यालय का नाम:- कार्यालय कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाब निर्माण संभाग-दो, म.प्र. पावर ट्रांस. कं.लि., गोविन्दपुरा, भोपाल.....
- वर्तमान धारित पद:- संभागीय लेखापाल.....
- वर्तमान वेतन:- 30950+4400 ग्रेड पे+मंहगाई भत्ता.....
- भविष्य निधि क्रमांक:- 22296908.....
- कर्मचारी संख्या:- 95320048 (SKV).....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे                                    |        | वर्तमान मूल्य                      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है। | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभ्युक्ति |
|---|--|--------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------|
|   | गृह तथा अन्य भवन   | भूमि   |                                    |   |   |                       |           |
| 1   | 2  | 3      | 4                                  | 5   | 6   | 7                     | 8         |
| प्राइवेट बिजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा भोपाल,                       | आवासीय भूखण्ड साईज 1500 वर्ग फीट पर निर्मित मकान (दो मंजिला) | -नहीं- | 70 लाख के लगभग (वर्तमान दर अनुसार) | स्वयं के नाम पर   | विभागीय गृह निर्माण सह. संस्था द्वारा 30 वर्ष की लीज पर आवंटित वर्ष 1991 में पंजीकृत  | -निरंक-               | —         |
| बाबई (माखन नगर) जिला-होशंगाबाद म.प्र.                               | पूर्वजों का आवास 1800 वर्ग फीट का 1/8 हिस्सा                 | -नहीं- | 2.50 लाख लगभग                      | दादाजी पिताजी के नाम पर है।   | पूर्वजों की प्रापर्टी   | -निरंक-               | —         |

हस्ताक्षर .....  
नाम:- श्री शैलेन्द्र कुमार व्यास  
पद:- संभागीय लेखापाल

- जहां लागू न हो काट दीजिए
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) निगम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी, सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।